न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 296/2016

1 चन्द्रभान आयु 57 वर्ष पुत्र गुलझारीलाल।
2 प्रमोद कुमार आयु 54 वर्ष पुत्र गुलझारीलाल।
3 मनोज कुमार आयु 53 वर्ष पुत्र गुलझारीलाल।
4 श्रीमती विमला देवी आयु 71 वर्ष स्त्री माधव प्रसाद।
5 महेन्द्र कुमार आयु 49 वर्ष पुत्र माधव प्रसाद।
6 सुरेन्द्र कुमार आयु 47 वर्ष पुत्र माधव प्रसाद।
7 श्रीधर आयु 70 वर्ष पुत्र वासुदेव।
8 श्रीमती सुशीला देवी आयु 61 वर्ष स्त्री रघुवीर प्रसाद।
9 मु. आशा आयु 42 वर्ष पुत्री रघुवीर प्रसाद।
10 मु. कामिनी आयु 31 वर्ष पुत्री रघुवीर प्रसाद।
11 रवि कुमार आयु 33 वर्ष पुत्र रघुवीर प्रसाद।
12 जगदम्बा प्रसाद आयु 64 वर्ष पुत्र वासुदेव।
13 मधुसुदन आयु 73 वर्ष पुत्र वासुदेव समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण राणी सती मंदिर के पास झुंझुनू।
14 जाफर आयु 44 वर्ष पुत्र शोकत जाति मुसलमान निवासी बिड़दीचन्द के कुआ के पास मन्ड्रेला रोड़ झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 विश्वनाथ आयु 48 वर्ष पुत्र रामेश्वर।
2 फूलचन्द आयु 38 वर्ष पुत्र रामेश्वर समस्त जाति माली निवासीगण बिड़दीचन्द के कुआ के पास मण्ड्रेला रोड़ झुंझुनू।
3 नन्दलाल पुत्र दुर्गादत जाति नाई निवासी मितल कॉलोनी झुंझुनू।
3/1 श्रीमती भगवती आयु 60 वर्ष स्त्री नन्दलाल।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

3/2 पवन कुमार आयु 40 वर्ष पुत्र नन्दलाल समस्त जाति नाई निवासीगण मिलत कॉलोनी झुंझुनू।

4 सीताराम आयु 60 वर्ष पुत्र दुर्गादत जाति नाई निवासी ईलाहियों की मस्जिद के पास मौहल्ला ईलाईयान झुंझुनू।

5 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र घनश्याम।

6 रमेश पुत्र घनश्याम।

7 रविन्द्र पुत्र घनश्याम।

8 राकेश पुत्र घनश्याम।

9 योगेश पुत्र घनश्याम।

10 अरविन्द पुत्र घनश्याम।

11 अरून पुत्र घनश्याम।

12 महेन्द्र पुत्र लीलाधर।

13 कालू पुत्र लीलाधर समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण मोहल्ला चौमालान झुंझुनू।

14 श्रीमती संतरा स्त्री लीलाधर जाति नायक निवासी पवन पुजारी के कुआ के पास हमीरी रोड़ झुंझुनू।

15 ग्यारसाराम पुत्र नारायणा।

15/1 श्रीमती परमेश्वरी देवी।

15/2 बबलु पुत्र ग्यारसाराम समस्त जाति नायक निवासीगण पवन पुजारी के कुआं के पास झुंझुनू।

16 पोषुराम पुत्र नारायण।

16/1 श्रीमती अंशु देवी स्त्री पोषुराम।

16/2 राजुराम पुत्र पोषुराम।

16/3 मुन्ना पुत्र पोषुराम।

16/4 रोहिताश पुत्र पोषुराम।

17 बाबुलाल पुत्र नारायण।

18 फूलाराम पुत्र नारायण।

19 श्यामाराम पुत्र नारायण।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

20 कालू पुत्र नारायण समस्त जाति नायक निवासीगण पवन पुजारी के कुआ के पास हमीरी रोड़ झुंझुनू।
21 स्वेता आयु 29 वर्ष स्त्री रवि कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी राणी सती मंदिर के पास झुंझुनू।
22 नगरपरिषद झुंझुनू जरिये आयुक्त नगरपरिषद झुंझुनू।
23 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनू।
24 शशिकान्त आयु 51 वर्ष पुत्र माधव प्रसाद।
25 मु. सुमन आयु 39 वर्ष पुत्री रघुवीर प्रसाद समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण राणी सती मंदिर के पास झुंझुनू।
26 बढ़न उर्फ असरूदीन आयु 43 वर्ष पुत्र मोहम्मद यासीन जाति मुसलमान मेव निवासी पथरोड़ी तहसील तिजारा जिला अलवर हाल ईलाहियों की मस्जिम के पास झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट
विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 09.11.2016 बमुकदमा
उनवानी चन्द्रभान वगैरह बनाम विश्वनाथ वगैरह दावा
बाबत इस्तकरारहक, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर 97/2013 बाअदालत उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनू

उपस्थिति :

1. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद गिल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 10.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा संख्या 97/2013 मे पारित निर्णय दिनांक 09.11.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में भूमि खसरा नम्बर 700,701,702,705,706,707,708,709 वाके कस्बा झुंझुनू के सन्दर्भ में घोषणा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 की और से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा वादी अपीलांट का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन आदेश से वाद वादी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट नम्बर 1,2 व मृतक प्रतिवादी नम्बर 3 की खातेदारी की भूमि का कोई भाग झुंझुनू से मण्ड्रेला जाने वाली सड़क के पश्चिम में स्थित नहीं रहा व न है परन्तु सेटलमेन्ट द्वारा तैयार किये गये नक्शा ट्रेश सन 1992–93 में रेस्पोडेंट नम्बर 1,2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 707,708 व 709 को गलत रूप से उक्त सड़क के पश्चिम में दर्शाया गया है जबकि उक्त खसरा नम्बरान की भूमि उक्त सड़क के पूर्व में स्थित है तथा इस भूमि के बाबत धारा 90बी राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही की जाकर इस भूमि को आबादी में दर्ज कर इस भूमि का नामान्तकरण नगरपरिषद झुंझुनू के नाम से दर्ज किया जाकर इस भूमि के राजस्व रिकार्ड में यह भूमि आबादी दर्ज की हुई है। सेटलमेन्ट के दौरान तैयार किये गये राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाने पर व सेटलमेन्ट विभाग की कार्यवाही बन्द हो जाने पर सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त अनुसार तैयार किये गये त्रुटि पूर्ण राजस्व

अभिलेख को दुरूस्त किये जाने का क्षेत्राधिकार मात्र उपखण्ड अधिकारी को होता है। कानून की इस स्थिति के बावजूद अदालत मातहत ने खसरा नम्बर 707,708 व 709 को आबादी में दर्ज हो जाने के आधार पर इस बाबत सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होना मानते हुये निर्णय व डिक्री पारित करने में भयंकर कानूनी भूल की है। भूमि खसरा नम्बर 707,708,709 भौतिक रूप से झुंझुनू से मण्ड्रेला जाने वाली सड़क से पूर्व में स्थित है जबकि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा इसे गलत रूप से उक्त सड़क से पश्चिम में दिखा दिया गया है। उक्त खसरा नम्बरान कि भूमि नगरपरिषद झुंझुनू के नाम से आबादी के रूप में दर्ज होने के बाद भी उक्त सड़क के पूर्व में ही स्थित है तथा उक्त सड़क से पश्चिम में सटकर वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 700,704,710,715 स्थित है। उक्त अनुसार गलत नक्शा ट्रेश सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बनाये जाने से उक्त आबादी भूमि को रेस्पोडेंट नम्बर 1,2 प्रतिवादीगण उक्त खसरा नम्बरान 707,708,709 को उक्त सड़क से पश्चिम में स्थित होना मानते हुए उस भूमि को वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा डालने की धमकी देते है। जिसका कोई अधिकार रेस्पोडेंट नम्बर 1,2 प्रतिवादीगण को नहीं है। भौतिक स्थिति के हिसाब से सेटलमेन्ट विभाग द्वारा गलती से खसरा नम्बर 707,708,709 की नक्शा ट्रेश सन् 1992–93 में स्थिति को गलत दर्शाये जाने मात्र से मौके पर कोई अन्तर नहीं पड़ता है। अपीलांट/वादीगण द्वारा अपने दावा में मात्र नक्शा ट्रेश को उक्त संदर्भ में दुरूस्त किये जाने की बाबत ही रिलीफ चाही गयी है। जो मात्र राजस्व न्यायालय ही दुरूस्त करने के सक्षम है तथा सिविल न्यायालय को राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के सम्बंध में कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण के दावा में किये गये अभिवचनों व चाही गयी रिलीफ के आधार पर दावा की ऐसी कोई स्थिति नही है कि जिससे आदेश 7 नियम 11 डी जा.दी. का इग्ररीडियन्ट फूल फिल होते हों या दावा में ऐसी भी कोई स्थिति नही है जिससे आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के किसी भी इग्ररीडियन्ट का होना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डी.एन.जे. 2015(1) (एस.सी.) पेज 242, डी.एन.जे. 2017 (3) पेज 1022, आर.एल.डब्ल्यू 2018(3) पेज 2097, डब्ल्यू एल.सी.सी. 2015(3) पेज 683, आर.आर.डी. 2017 पेज 81, आर.आर.डी. 2017 पेज 273 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादी संख्या 15 की और से विवादित भूमि आवासीय होने का तथ्य स्वीकार किया गया है आवासीय भूमि का वाद सिविल न्यायालय में पोषणीय है राजस्व न्यायालय में पोषणीय नही है। यह स्वीकृत तथ्य है कि भूमि खसरा नम्बर 707,708,709 कस्बा झुंझुनू के बाबत भूमि रूपान्तरण का आदेश दिनांक 25.05.2006 को हो गया। इससे स्पष्ट है कि भूमि आवासीय है खातेदारी की नही है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि भूमि जरिये नामान्तकरण नगरपालिका के नाम दर्ज हो चुकी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश से प्रतिवादी संख्या 2 का आवेदन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर अपीलांट के वाद को विधि वर्जित मानकर खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में वादी अपीलांट का कथन रहा है कि रेस्पोडेंट नम्बर 1,2 व मृतक प्रतिवादी नम्बर 3 की खातेदारी की भूमि का कोई भाग झुंझुनू से मण्ड्रेला जाने वाली सड़क के पश्चिम में स्थित नहीं रहा व न है परन्तु सेटलमेन्ट द्वारा तैयार किये गये नक्शा ट्रेश सन 1992–93 में रेस्पोडेंट नम्बर 1,2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 707,708 व 709 को गलत रूप से उक्त सड़क के पश्चिम में दर्शाया गया है जबकि उक्त खसरा नम्बरान की भूमि उक्त सड़क के पूर्व में स्थित है तथा इस भूमि के बाबत धारा 90बी राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही की जाकर इस भूमि को आबादी में दर्ज कर इस भूमि का नामान्तकरण नगरपरिषद झुंझुनू के नाम से दर्ज किया जाकर इस भूमि के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

राजस्व रिकार्ड में यह भूमि आबादी दर्ज की हुई है। सेटलमेन्ट के दौरान तैयार किये गये राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाने पर व सेटलमेन्ट विभाग की कार्यवाही बन्द हो जाने पर सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त अनुसार तैयार किये गये त्रुटि पूर्ण राजस्व अभिलेख को दुरूस्त किये जाने का क्षेत्राधिकार मात्र उपखण्ड अधिकारी को होता है। विधि की इस स्थिति के उपरान्त भी विचारण न्यायालय ने खसरा नम्बर 707,708 व 709 को आबादी में दर्ज हो जाने के आधार पर इस बाबत सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होना मानते हुये निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक भूल की है। भूमि खसरा नम्बर 707,708,709 भौतिक रूप से झुंझुनू से मण्ड्रेला जाने वाली सड़क से पूर्व में स्थित है जबकि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा इसे गलत रूप से उक्त सड़क से पश्चिम में दिखा दिया गया है। उक्त खसरा नम्बरान कि भूमि नगरपरिषद झुंझुनू के नाम से आबादी के रूप में दर्ज होने के बाद भी उक्त सड़क के पूर्व में ही स्थित है तथा उक्त सड़क से पश्चिम में सटकर वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 700,704,710,715 स्थित है। उक्त अनुसार गलत नक्शा ट्रेश सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बनाये जाने से उक्त आबादी भूमि को रेस्पोडेंट नम्बर 1,2 प्रतिवादीगण उक्त खसरा नम्बरान 707,708,709 को उक्त सड़क से पश्चिम में स्थित होना मानते हुए उस भूमि को वादीगण के उपयोग उपभोग में अवरोध उत्पन्न करते है भौतिक स्थिति के हिसाब से सेटलमेन्ट विभाग द्वारा गलती से खसरा नम्बर 707,708,709 की नक्शा ट्रेश सन् 1992–93 में स्थिति को गलत दर्शाये जाने मात्र से मौके पर कोई अन्तर नहीं पड़ता है। अपीलांट/वादीगण द्वारा अपने दावा में मात्र नक्शा ट्रेश को उक्त संदर्भ में दुरूस्त किये जाने की बाबत ही रिलीफ चाही गयी है। जो मात्र राजस्व न्यायालय ही दुरूस्त करने के सक्षम है तथा सिविल न्यायालय को राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के सम्बंध में कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण के दावा में किये गये अभिवचनों व चाही गयी रिलीफ के आधार पर दावा की ऐसी कोई स्थिति नही है कि जिससे आदेश 7 नियम 11 डी जा.दी. का इग्रीडियन्ट फूल फिल होते हों या दावा में ऐसी भी कोई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

स्थिति नही है जिससे आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के किसी भी इग्ररीडियन्ट का होना पाया जाता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि प्रतिवादी रतनी देवी, विश्वनाथ, फुलचन्द द्वारा विवादित भूमि के सन्दर्भ में सिविल न्यायालय में प्रस्तुत दावा बाबत घोषणा, बेदखली व तोड़वाने तामीरात व स्थाई निषेधाज्ञा दावा संख्या 164/2013 अपर जिला न्यायाधीश नम्बर 2 झुंझुनू द्वारा निर्णय दिनांक 02.11.2019 से खारिज किया जा चुका है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है अत अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रकिया अपनाकर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.03.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर